प्राप्त प्रतिवेदन पर पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 16.01.2025 एवं 17.01.2025 को किए गये विमर्श का ब्यौराः–

(क) उपस्थितिः–

1. श्री शैलेश कुमार, उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, रांची।
2. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, परामर्शी, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, रांची।
3. श्री सौरभ बाग, एसपीएम, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, रांची।

(ख) पंचायत राज विभाग द्वारा उनसे प्राप्त पत्र संख्या–86 दिनांक 15.01.2025 एवं 07.01.2025 को प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग एवं पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के क्रम में निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराई गईः–

(1) डिजीटल पंचायत योजना संकल्प संख्या 2069 दिनांक–12.08.2023 एवं पत्रांक 2937 दिनांक–28.11.2023 एवं पत्रांक 3176 दिनांक 22.12.2023 तथा पत्रांक–74 दिनांक 10.01.2024 आयोग को प्राप्त हुआ इससे स्पष्ट हुआ कि डिजीटल पंचायत केन्द्र सरकार के स्तर से 53 सेवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इसमें ई–ग्राम स्वराज भी शामिल है, इसके साथ वित्तीय डाटा, कैसबुक इत्यादि को ऑनलाईन एकाउंट अपडेट किया जाता है। ***Right to Service Act*** की भी सेवायें केन्द्र सरकार एवं अन्य सेवाएं तथा बैकिंग एवं पोस्टल सेवायें सशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(2) पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण अंतर्गत संकल्प संख्या–626 दिनांक 19.03.2023 एवं पत्रांक 1273 दिनांक 26.05.2023 एवं पंचायत ज्ञान केन्द्र से संबंधित विभागीय पत्रांक 1273 दिनांक 30.9.2022 एवं 4 पंचायत सेवको को सहायक के रूप में कार्य करने संबंधी संकल्प संख्या 742 दिनांक 15.03.2024 विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। यह *Front desk helpdesk* की सुविधा दी जाएगी। पंचायत के लिए विभिन्न व्यवस्था यथा पुस्तकालय, इंटरनेट एवं अन्य सुविधा तथा पंचायत हेल्प डेस्क की व्यवस्था उक्त परिपत्र में शामिल है। पंचायत

स्तर पर विभिन्न विभागो के पंचायत स्तरीय क्षेत्रीय समन्वयय तथा जन सुविधा हेतु विभागीय पदाधिकारियों को भी पंचायत स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठना है, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था प्रभावी नही है। विभाग द्वारा **पंचायत हेल्प डेस्क** योजना को फरवरी 2025 से प्रभावी करने की योजना है। पंचायत ज्ञान केन्द्र का निर्माण क्रमशः 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में 500,1000 एवं 1000 कुल 2500 केन्द्र की स्थापना किया गया है। वर्ष 2025–26 में शेष बचे सभी 1845 पंचायत ज्ञान केन्द्र का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि राज्य के 24 जिलों में 264 प्रखण्ड 4345 पंचायत एवं 4192 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण है। इसमें से 153 पंचायत भवनों का निर्माण अबतक लंबित है तथा 98 पंचायतों को विभाग द्वारा राशि आबंटन निर्गत कर दिया गया है, चिन्हित योजनाएँ राज्य के 16 जिलों में अवस्थित है इसमें से सबसे ज्यादा हजारीबाग में 16, पूर्वी सिंहभूम में 13 सरायकेला–खॉरसावाँ/पलामू में 11–11, गुमला में 8 तथा साहेबगंज/प0सिंहभूम/खूँटी में का कार्य बाँकी है, बाँकी अवशेष जिलों में 1 से 5 पंचायत भवन निर्माणधीन होने की सूचना है। यह कार्य अतिशीघ्र पूर्ण होगा।

(3) मुख्यमत्री पंचायत पुरस्कार योजना संकल्प संख्या 2767 दिनांक 01.11.2023 का अभी शुभारंभ नहीं हुआ है। पोर्टल निमार्ण का कार्य टेस्टिंग स्टेज में है।

(4) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज एवं क्षमता विकास एवं पंचायत राज स्वराज परिषद् जो विभाग एवं पीआरआई (*Panchayati Raj Institution*) व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में तथा प्रशिक्षण एवं हेन्डहोल्डिंग के लिए है। इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय भ्रमण भी किया जा रहा है।

(5) 15वाँ वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग को अनुदान से संबंधित स्पष्ट निर्देश है कि भारत सरकार अनुदान को सीधे जिला स्तर/पंचायत स्तर/ग्राम

पंचायतों के लिए जिला के पंचायती राज पदाधिकारी को राशि हस्तांतरित की जाती है। इसके तहत *ZPDP (Zila Parisad Development Plan) BPDP (Block Panchyat Development Plan)* एवं *GPDP (Gram Panchyat Development Plan)* योजनाओं का सृजन किया जाता है और इसे संयुक्त रूप से *PDP* कहा जाता है। इसे प्रभावी करने के लिए **प्रशासी विभाग** के तहत *Public Plan Campaign* के तहत हैन्ड होल्डिंग किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न स्तर पर ***15TH CFC*** के तहत वित्तीय वर्षवार विभिन्न स्तर पर उपलब्ध राशि व्यय तथा योजना की स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। *BPDP/ ZPDP* की गाईडेन्स भारत सरकार से प्राप्त है तथा इसकी प्रति उपलब्ध कराया जाए।

(vii) *GPDP* स्तर पर चयनित 1/2 *LSDG* क्या *adopt* किया गया है । उसका 4345 जीपी की *analysis* दें तथा क्या उसका क्या *impact* हुआ तथा उस *theme* पर *total allocation* का कितना व्यय हुआ है?

(6) जिला परिषद् से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–2713 दिनांक 30.12.2024 एवं 3170 दिनांक 21.12.2023 उपलब्ध कराया गया।

(ii) *BPMS REVENUE GENERATION DATA* 2022 से 15.01.2025 तक उपलब्ध कराया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों का नक्सा पास करने से संबंधित है। इस बिन्दु पर चतरा, पाकुड़ तथा साहेबगंज में *Revenue Generation* शून्य है। गोड्डा में 2024–25 जामताड़ा में मात्र 2022–24 में कार्रवाई की गयी है। संबंधित मामले में प्रशासी विभाग स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। सत्यता आधारित समीक्षा कर, जिला परिषद् की बैठक कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

(iii) जिला परिषद् को अन्य स्रोतो से क्या आय होती है स्पष्ट करें?

(iv) जिला परिषद् को *Assets* क्या है? जिला परिषद्वार स्पष्ट करें।

(v) जिला परिषद् अपने स्थापना मद का कितना अंश अपने संशाधन से प्राप्त करता है?

(7) संबंधित पदाधिकारियों से जिलावार, प्रखण्डवार, ग्राम पंचायतवार व्यौरा जिसमें कुल आबादी, ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी अलग–अलग एवं प्रतिशत क्षेत्रफल जनसंख्या धनत्व, प्रतिशत वन क्षेत्र अच्छांदित, अनु.जाति/अनु.जनजाति आबादी का प्रतिशत तथा राज्य मुख्यालय से जिला एवं जिला मुख्यालय से प्रखण्ड, प्रखण्ड मुख्यालय से पंचायत की दूरी की सूचना मांगी गई है। इसे यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।

(8) आयोग का पत्रांक–242 दिनांक 10.12.2024 एवं पत्रांक–17 दिनांक 07.01.2025 की कार्यवाही की प्रति पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी। उसमें याचित सभी सूचना दें तथा जो उपलब्ध कराई जा चुकी है, उसे स्पष्ट करें तथा शेष दें।

(9) पदाधिकारियों ने यह भी संसूचित किया कि पंत्रांक 26 दिनांक–10.04.2024 द्वारा माँगी गई विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने में समय लगेगा। प्रतिवेदन शीघ्र देने का अनुरोध प्रशासी विभाग से भी किया गया है। तत्काल प्रथम रिर्पोट हेतु याचित सूचनाएँ दें। विस्तृत मेमोरेंडम तैयार प्रशासी विभाग करें ताकि *comprehensive and composite coverage* किया जा सके।

(10) विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1422 दिनांक 16.06.2023 की प्रति उपलब्ध कराया गया जिसमें विभाग स्तर पर पीआरआई के पदधारकों का मासिक भत्ता/दैनिक भत्ता का स्पष्ट उल्लेख है।

(11) प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि 29 विन्दुओं पर 13 विभाग जो पीआरआई (*PRI*) को करना है उसके अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी एक ब्यौरा आयोग को उपलब्ध कराया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। अधतन लगभग 21 विन्द्रु पर प्रत्यायोजन की सूचना है। वित्तीय शक्ति किसी विभाग द्वारा नहीं की गई है।

(12) प्रशासी विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि ओएसआर (*Own Source of Revenue*) के लिए छत्तिसगढ़ राज्य का दौरा किया गया, लेकिन अधतन कंडिका 6 के अतिरिक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।

(13) सोलर स्ट्रीट लाईट का स्टेट्स क्या है?

(ग) कतिपय *document* अन्य बैठकों में दिए निर्देश के क्रम में उपलब्ध कराना है जो निम्न है:—

(i) *Act/Rules* जिससे *PRI* व्यवस्था नियंत्रित होनी है। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम की प्रति प्राप्त है।

(2) विस्तृत व्यौरा *PRI* का निर्वाचन कब—कब हुआ? *Act* बनने के कितने वर्ष बाद प्रथम चुनाव हुआ।

(3) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग, 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्षवार कितनी—कितनी राशि *GP,PS* तथा *ZP* को प्राप्त हुई तथा व्यय की क्या स्थिति रही?

(4) *PRI* के तीनों स्तर पर उपलब्ध *manpower* की स्थिति, पदनाम तथा कार्य का संक्षिप्त व्यौरा, अलग—अलग बताएँ, जिसका वेतन पंचायत राज विभाग देता है तथा जिनका अन्य विभाग जो कार्य करते हैं?

Kaushal

(5) पंचायत राज विभाग के स्थापना व्यय-राज्य मुख्यालय, प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय कार्यालय का गत 3 वर्ष स्वीकृत पद/कार्यरत, क्या यह *Adequate* है?

(6) दलपति का क्या रोल है तथा क्या अर्हता है एवं नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? क्या इनका *Promotion* भी होता है? अगर हाँ तो सोपान स्पष्ट कर दें?

(7) महिला आरक्षण *PRI* के विभिन्न स्तर पर क्या है, क्या 2001 में था तथा परिवर्तन कब हुआ? अधतन जन प्रतिनिधियों में महिला जन प्रतिनिधियों की विभिन्न कोटि अंतर्गत स्थिति/संख्या क्या है?

(8) गत 10 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य के लिए कितने पीआरआई जन प्रतिनिधियों को विशेष पुरस्कार *Honour National/State/International level* पर मिला/वर्षवार नाम/पदनाम, कार्य के साथ स्पष्ट करें।

(9) *Schedule Area* में कितने जिलें प्रखण्ड पंचायत आच्छांदित है? इस क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए क्या कोई विशेष आरक्षण है? अंतिम निर्वाचन के समय विभिन्न कोटि के जनप्रतिनिधियों का आरक्षण वार क्या संख्या तथा अनुपात है? इस क्षेत्र में कितने ग्राम सभाएँ हैं। ग्राम सभा का जीपी के साथ क्या संबंध पंचायत के कार्यो में है?

(10) *Account keeping stand adopted at all levels of PRI.*

(11) *Audit Standard and Authorized body* कौन है तथा किस स्तर पर कितना दायित्व है?

(12) क्या *Local Fund Audit* का गठन हुआ है? संबंधित *Act/Notification /order* की प्रति के साथ दें।

(13) *Average no of Bank Account and nature of account at all levels of PRI* तथा *Authorized Authority to operate the said accounts at different levels of PRI.*

(14) *Is there any vigilance committee at WARD-ZP level? If yes, the concerned Notification* की प्रति दें।

(15) *Any other information relevant to the functioning of PRI.*

17/01/2025
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग

झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांकः– वित्त(SFC) कार्यवाही / 36 वि0आ0 रांची, दिनांक– 30-01-2025

प्रतिलिपिः **प्रधान सचिव**, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल 17-01-2025
(कौशल किशोर झा)
उप सचिव,
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांकः– वित्त(SFC) कार्यवाही / 36 वि0आ0 रांची, दिनांक– 30-01-2025

प्रतिलिपिः **सचिव**, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के सूचनार्थ प्रेषित।

कौशल 17-01-2025
(कौशल किशोर झा)
उप सचिव,
राज्य वित्त आयोग

Kaushal